संख्या-66 /2025//001-342-23-12-2025-1587854

प्रेषक,

रिपुन्जय गुप्ता,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष
लोक निर्माण विभाग,उ0प्र0,लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-12 लखनऊ : दिनांक 28 मार्च, 2025

विषय:- उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग में जियो फेन्सिंग वेब पोर्टल/एप्लीकेशन विकसित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के ई-पत्रांक-I/119215/2025, दिनांक 22.02.2025 एवं ई-पत्रांक-I/123551/2025, दिनांक 04.03.2025 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग में जियो फेन्सिंग वेब पोर्टल/एप्लीकेशन विकसित किये जाने के कार्य हेतु जी0एस0टी0 सहित अग्रतालिका में अंकित विवरण के अनुसार कुल धनराशि रू0 4,45,21,400.00 (रूपये चार करोड़ पैतालिस लाख इक्कीस हजार चार सौ मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धो के अधीन प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2024-25 में उक्त सम्पूर्ण धनराशि को अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल एतद्द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्रम सं0	खण्ड/जनपद का नाम	कार्य का नाम	लागत (रू) (जीएसटी सहित)
1	2	3	4
1	रोड एसेट मैनेजमेंट खण्ड, लो0नि0वि0, लखनऊ।	उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग में जियो फेन्सिंग वेब पोर्टल/एप्लीकेशन विकसित किये जाने का कार्य।	4,45,21,400.00

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

(1) उपर्युक्त कार्य पर स्वीकृति इस उपबंध के साथ प्रदान की जाती है कि क्रय सभी अद्यतन लागू वितीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाय।

(2) प्रश्नगत क्रय सामग्री क्रय नियमों के अनुसार एवं सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्मम अनुभाग-2 उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश सं0-11/2017/523/18-2-2017-97(ल0उ0)/2016, दिनांक 23.08.2017 एवं शासनादेश सं0-1/2018/868/18-2-2017-2(एस0पी0)/2017, दिनांक 15.01.2018 तथा आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग के संगत शासनादेशों तथा अन्य समस्त आदेश/प्रक्रिया के अनुसार यथानियम अपेक्षित सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही किया जायेगा।

(3) वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 सपठित कार्यालय ज्ञाप सं0-4/2024/बी-1-607/दस-2024-231/2024, दिनांक 19 जून, 2024 में उल्लिखित प्राविधानों/ दिशा-निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(4) इस सम्बन्ध में आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत अद्यतन शासनादेशों में निर्धारित प्रक्रिया एवं शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(5) सामग्रियों की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्याक्ष, मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ की होगी तथा सामग्रियों एवं फण्डिंग की डुप्लीकेसी न हो।

(6) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाय।

(7) प्रश्नगत स्वीकृत धनराशि जिस कार्य/मद के लिये है, उसी कार्य/ मद पर व्यय प्रत्येक दशा में की जायेगी।

(8) यह सुनिश्चित किया जाय कि उक्त कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी कार्य योजना में सम्मिलित है।

(9) प्रश्नगत धनराशि का व्यय वर्तमान में प्रचलित समस्त वित्तीय नियमों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाय।

(10) स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0 डिपोजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत धनराशि अनुमोदित कार्य पर ही व्यय की जायेगी।

(11) स्वीकृत धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र एवं कार्य विशिष्टियों के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण रूप से किये जाने का प्रमाण पत्र यथासमय उपलब्ध कराया जाय।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 4,45,21,400.00 (रूपये चार करोड़ पैतालिस लाख इक्कीस हजार चार सौ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20242025 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 058 **लेखा शीर्षक** 5054808000500 सूचना प्रौद्योगिकी के प्रबंधन एवं नियोजन के कार्यों हेतु एकमुश्त व्यवस्था **मानक मद** 46 **कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर** का क्रय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कम्प्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-ई-8-886-एक्स-2024-25, दिनांक 25.03.2025 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
रिपुन्जय गुप्ता
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या-66/2025//001-342-23-12-2025-1587854दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

3- नोडल अधिकारी, बजट एलॉटमेंट सिस्टम, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त शासनादेश को अपलोड कराने का कष्ट करें।

4- मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।

5- वित्त नियन्त्रक, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

6- अधीक्षणअभियन्ता, आई0डी0एस0वृत्त, लोक निर्माण विभाग लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

7- अधिशासी अभियन्ता, रोड एसेट मैनेजमेंट खण्ड, लोक,निर्माण विभाग, लखनऊ।

8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1

9- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8/सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम एवं निर्यात/ प्रोत्साहन अनु0-2

10- आयुक्त एवं निदेशक (सामग्री क्रय अनुभाग), उ0प्र0 कानपुर।

11- लोक निर्माण अनु0-10

12- डाटा सेल, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।

13- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(रिपुन्जय गुप्ता)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।